

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2014/माघ 2, 1935

No. 157]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2014/MAGHA 2, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2014

का.आ. 162 (अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित और सं. का. आ. 2015 (ड.) के तहत जारी दिनांक 2 जुलाई, 2013 की अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा-4 द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर का गठन करती है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

. धारा-4 के खंड (क) के तहत सदस्यः

डॉ. जी. बी. गुप्ता, कुलपित, आयुर्वेद, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथिक (आयुष) और स्वास्थ्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

धारा-4 के खंड (च) के तहत सदस्यः

डॉ. ए. के. चन्द्राकर, डीन पं. जवाहर लाल नेहरु मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर छत्तीसगढ़।

सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा-6 में निहित उपबन्धों के अनुसार निर्धारित होगा।

> [फा. सं. जैड. 28016/42/2013-एस एस एच] संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

276 GI/2014

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2014

S.O. 162(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012) and in partial modification of notification dated 2nd July, 2013 issued vide No. S.O. 2015 (E), the Central Government hereby nominates following members to the All India Institute of Medical Sciences, Raipur, namely:-

Member under clause (a) of section 4: I.

Dr. G.B. Gupta, Vice Chancellor, Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH) and Health Sciences, University of Chhattisgarh, Raipur, Chhattisgarh

Member under clause (f) of section 4: II.

Dr. A. K. Chandrakar, Dean, Pundit Jawahar Lal Nehru Memorial Medical College, Raipur, Chhattisgarh.

The terms of office of the members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of The All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/42/2013-SSH]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.